

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 689/2021

श्रीराम पुत्र श्री जयराम, निवासी गाँव फलोदा, बस स्टैंड फलोदा, अजमेर के पास।

---याचिकाकर्ता

बनाम

- कृष्ण कांत पाठक, सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
- प्रकाश राजपुरोहित, जिला कलेक्टर अजमेर/अध्यक्ष सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ, अजमेर।
- परसा राम, उपखंड अधिकारी, किशनगढ़, जिला अजमेर।
- नंद लाल भादू, सरपंच, ग्राम पंचायत, तिलोनिया, जिला अजमेर।
- मोहन सिंह राजावत, तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर।
- भगवान अरविंद, खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिलोरा जिला अजमेर।
- डॉ. गौरव सैनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर।
- राजस्थान राज्य, सचिव, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री मनोज कुमार भारद्वाज, श्री अवधेश कुमार पुरोहित
प्रतिवादी की ओर से	:	श्री भरत व्यास, एएजी, सुश्री प्रत्यूषी मेहता के साथ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति भुवन गोयल

आदेश

13/03/2024

अवनिष झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह अवमानना याचिका डी.बी. सीडब्ल्यूपी संख्या 3576/2021 में 23.03.2021 को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के गैर-अनुपालन का तर्क देते हुए दायर की गई है।

आदेश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुनरुत्पादित है:-

“3. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने जगदीश प्रसाद मीणा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, डी.बी. सिविल रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 10819/2018 में 30.01.2019 को पारित आदेश द्वारा, हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ (पीएलपीसी) के निर्माण का निर्देश दिया है।

4. याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्हें पीएलपीसी के समक्ष एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है और प्रतिवादियों को उसी को दो महीने की अवधि के भीतर निपटाने का निर्देश दिया जा सकता है।

5. प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अनिल मेहता को पीएलपीसी को मामले को संदर्भित करने के लिए याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है।

6. उस दृष्टिकोण के मद्देनजर, जगदीश प्रसाद मीणा (सुप्रा) में खंडपीठ द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मद्देनजर, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है और याचिकाकर्ता पीएलपीसी के समक्ष एक प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र है और प्रतिवादियों को उसी को दो महीने की अवधि के भीतर तय करने का निर्देश दिया जाता है।”

2. आगे बढ़ने से पहले, इस मुकदमे की पृष्ठभूमि देना प्रासंगिक होगा। यह तर्क देते हुए दायर की गई जनहित याचिकाओं की संख्या के मद्देनजर कि अतिक्रमणों को हटाया नहीं जा रहा है, डी.बी. सीडब्ल्यूपी (पीआईएल) संख्या 10819/2018 जिसका शीर्षक जगदीश प्रसाद मीणा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य था, में 30.01.2019 को राज्य के हर जिले में आम जनता के लिए अतिक्रमणों के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए एक स्थायी तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया था। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ (संक्षेप में 'पीएलपीसी') बनाया जाना था। प्राप्त शिकायतों की क्षेत्र अधिकारियों को नियुक्त करके जांच करने और तथ्यात्मक स्थिति को सत्यापित करने की आवश्यकता थी। अतिक्रमणों को हटाने और अतिक्रमणकारियों को दंडित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने थे। निर्देश यह थे

कि पीएलपीसी शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करते हुए एक सकारण आदेश (speaking order) पारित करके शिकायत का निर्णय करेगी।

3. वर्तमान मामले में, पीएलपीसी के सदस्य सचिव ने 09.02.2022 को संचार द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि शिकायत का निपटारा कर दिया गया है। जांच के बाद शिकायत प्राप्त होने पर, अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी।

4. सकारण आदेश पारित करने के निर्देशों का वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया है। संचार एक सकारण आदेश की पूर्व-शर्तों को पूरा नहीं करता है। एक सकारण आदेश का पारित होना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई के साथ-साथ कथित अतिक्रमणों को नहीं हटाने और जहां अतिक्रमण के आरोप गलत पाए गए, उसके कारणों के बारे में अद्यतन जानकारी मिले।

5. अपनाई जाने वाली निर्देशित प्रक्रिया कथित अतिक्रमणकारियों को अपने संस्करण को प्रस्तुत करने और कानून के अनुसार उपचारों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है।

6. याचिका को पीएलपीसी को याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर एक सकारण आदेश पारित करने के निर्देशों के साथ निपटाया जाता है। मामले से निपटते समय कथित अतिक्रमणकारियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह वांछनीय होगा कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो महीने के भीतर मामले का निर्णय करने का प्रयास किया जाए।

7. विभिन्न मामलों में, इस न्यायालय के संज्ञान में आया है कि पीएलपीसी प्राप्त शिकायतों पर सकारण आदेश पारित नहीं कर रही है। इस आदेश की एक प्रति राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव को भेजी जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आदेश आवश्यक निर्देशों के साथ प्रत्येक जिले के पीएलपीसी और मुद्दों से निपटने वाले अधिकारियों को प्रसारित किया जाए।

8. यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि उचित कार्रवाई नहीं किए जाने का तर्क देते हुए कई मामले दायर किए जा रहे हैं। पीएलपीसी के उचित कामकाज और पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य सचिव एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करेंगे, जिन्हें सभी पीएलपीसी द्वारा प्राप्त शिकायत, की गई कार्रवाई और झूठी पाई गई शिकायतों के संबंध में मासिक डेटा ऑनलाइन भेजा जाएगा।

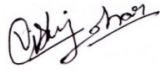
(भुवन गोयल), जे

(अवनीश झिंगन), जे

सिंपल/पायल/137

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़